राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12 (07) राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांक: 27/05/2025

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्ष ।

:: **परिपत्र** ::

विषयः– माननीय उच्चतम न्यायालय ,उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों /अधिकरणों के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने तथा दिनोंदिन बढ़ती अवमानना प्रकरणों की संख्या को नियंत्रित करने के संबंध में।

सन्दर्भः– निदेशक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्रांक एन–17/22/2024–एनएम(ई–9819) दिनांक 03.01.25

इस विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ,उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों/अधिकरणों के द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जिसके कारण अवमानना प्रकरणों की संख्या में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है। माननीय न्यायालयों/अधिकरणों के निर्णयों/आदेशों की पालना समयबद्ध रूप से किए जाने के निर्देश समय–समय पर विधि विभाग द्वारा दिए जाते रहे हैं।

आपका ध्यान राजकीय वादकरण नीति के अध्याय 23 के बिंदु संख्या 23(2), 23(3) तथा विधि विभाग के समेकित परिपत्र दिनांक 19.03.10 के भाग–2 के बिंदु संख्या 8, 15 और इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.12(2)राज/वाद/2019 दिनांक 04.04.23, 16.05.23, 21.09.23 व 03.10.23 की ओर आकर्षित कर निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. आपके विभाग द्वारा राजकीय वादकरण को नियंत्रित एवं मोनीटरिंग करने के सम्बन्ध में नियुक्त नोडल अधिकारी के स्तर पर माननीय न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की पालना हेतु लंबित निर्णयों की समुचित सूची संधारित कर माननीय न्यायालयों के निर्णयों/आदेशों की अनुपालना विहित समयावधि में सुनिश्चित की जावे। विहित समयावधि में निर्णयों/आदेशों की पालना नहीं हो पाना प्रतीत होने की स्थिति में, निर्णयों/आदेशों की पालना के लिये समयावृद्धि हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ़ व समुचित कारणों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाकर समयावृद्धि हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए और अभिवृद्धित समय में पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।
2. माननीय न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित ऐसे निर्णय/आदेश जिनके विरूद्ध अपील दायर की गयी है उनमें तत्काल स्थगन प्राप्त करने के प्रयास किये जाने

चाहिए और स्थगन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर निर्णय/आदेश की सशर्त अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

3. माननीय न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की अनुपालना हेतु लंबित न्यायिक प्रकरणों तथा अवमानना प्रकरणों की प्रगति की मासिक समीक्षा प्रशासनिक विभाग व विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ह०-
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव,विधि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
6. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर ।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता/,एडवोकेट ऑन रिकार्ड्स, राजस्थान सरकार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता/गवर्नमेंट काउंसिल्स, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर।
10. शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग,शासन सचिवालय जयपुर को लाईटस सॉफ्टवेयर से संबंधित बिन्दुओं की प्रभावी मॉनेटरिंग हेतु।
11. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी /सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी,विधि विभाग, जयपुर।
12. प्रशासक वादकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. एनालस्टि कम प्रोग्रामर सह उप निदेशक, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
16. रक्षित पत्रावली।

27/05/25
(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि(वादकरण)